the amount of loans advanced by Government to Hindustan Steel Limited stood at Rs. 5315 million including a short-term loan of Rs. 110 million.

(b) to (d). It had been pointed out in the Pamphlet entitled "Performance of Hindustan Steel Limited" (placed on the Table of the House on 5th April, 1968) that the Steel Plants suffered from certain basic handicaps affecting their working. Some measures designed to remove or minimise these handicaps are presently under examination.

केन्द्रीय लघु उद्योग निगम, इन्दौर

1042. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5976 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लघु उद्योग निगम, इन्दौर तथा लघु उद्योग सेवा संस्था द्वारा लघु उद्योगों को किस एजेंसी के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) निगम स्थापित करने का औचित्य क्या है ; और

(ग) उसके कृत्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) लघु उद्योग सेवा संस्थायें लघु उद्योग एककों को वित्तीय सहायता नहीं देतीं। इन्दौर में कोई केन्द्रीय लघु उद्योग निगम नहीं है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के एकक

1043. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन लिमिटेड कानपुर के सभी एकक घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य निदेशकों ने इसके कई एकक अवैध रूप से बेच दिये हैं और हजारों श्रमिकों की छंटनी कर दी है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जबकि, ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन की, कूपर एलन तथा नार्थ-वेस्ट टेनरी शाखायें, कई वर्ष से हानि उठा रही हैं, 1967 में, ऊनी शाखाओं ने भी विशेष क्षति उठाई है।

(ख) तथा (ग). कम्पनी से प्राप्त सूचना के अनुसार, कम्पनी ने अवैध रूप से, अपने किसी एकक को नहीं बेचा है, एवं हजारों श्रमिकों की छंटनी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यदि माननीय सदस्य के विचार, दो चीनी कम्पनियों के हिस्सों तथा इसकी कुछ सहायक कम्पनियों के कुछ बंगलों की बिक्री के बारे में हैं, तो इस विषय पर, उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त, जाँच-प्राधिकारियों द्वारा, विचार किया जायेगा। चीनी कम्पनियों के हिस्सों की बिक्री के बारे में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष, एक व्यवहार-वाद भी अनिर्णीत है। यदि यह निर्देश, कूपर एलन नार्थ-वेस्ट टेनरी शाखाओं के लिये है, तो उसकी स्थिति यह है कि 14 फरवरी, 1969 को की गई असामान्य साधारण बैठक में, ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन लिमिटेड के हिस्सेधारियों ने कथित शाखाओं को सर्वसम्मति से कुछ शर्तों पर, सरकार को हस्तांतरण का अनुमोदन करते हुए एक संकल्प पारित कर दिया है।